उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय) के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

आवेदन करने की अंतिम तिथि : 23.01.2012 **प्रारंभिक परीक्षा दिनांक : 19.02.2012**

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय में सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण), सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय) के नियमित रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु इच्छुक उम्मीदवारों के **ऑनलाइन** आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

खण्ड "अ"

ऑनलाइन आवेदन भरने के निर्देश और विधि

1. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें। आप निर्देश पुस्तिका प्रवेश परीक्षा लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं।
2. आवेदन पत्र, विज्ञापन दिनांक से दिनांक 23.01.2012 को रात्रि 12:00 बजे तक ऑनलाइन भरे जा सकते हैं।

पोर्टल शुल्क :-

3. प्रत्येक आवेदक को परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त 50/- रु. पोर्टल शुल्क देय होगा।

पोर्टल एवं परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य कोई राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्क धारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो एमपीऑनलाइन के निम्न दूरभाष नंबरों पर संपर्क कर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

दूरभाष क्र. (0755) 4019400-406, 4019430

ऑनलाइन आवेदन भरने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी :-

आवेदन पत्र वेबसाइट https://www.mponline.gov.in एवं https://www.mphighcourt.nic.in पर ऑनलाइन उपलब्ध हैं। आवेदन परीक्षा फार्म ऑनलाइन भरकर मध्यप्रदेश राज्य के जिला, तहसील एवं ब्लाक एवं कुछ ग्राम पंचायत स्तर पर स्थापित एमपी ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से किया जा सकता हैं। एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्कों की सूची के लिए https://www.mponline.gov.in, पर Authorized Kiosk list Link देखें।

इंटरनेट कैफे या स्वयं घर बैठे कम्प्यूटर द्वारा इंटरनेट के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-

आवेदक https://www.mponline.gov.in एवं https://www.mphighcourt.nic.in वेबसाइट के माध्यम से होम पेज पर

Citizen Services
नागरिक सेवाएं

क्लिक करें इसके उपरांत **Application** लिंक पर जाकर बटन को क्लिक करें। अब उसे यहाँ तीन ऑप्शन दिखाई देंगे।

Click here to Open Application form

Pay for unpaid Application

Click here to view advertisement

आवेदक इंटरनेट कैफे के माध्यम से या घर बैठे स्वयं भी अपना फार्म भर सकता है। आवेदक फार्म भरने से पहले Click here to view Advertisement को क्लिक कर दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें। इसके उपरांत ही आवेदन Click here to Open Application form को क्लिक करें। इसके उपरांत आवेदक को स्क्रीन पर फार्म दिखाई देगा। आवेदक को फार्म में मांगी गई समस्त जानकारियों को सही-सही भरना अनिवार्य है। आवेदक को फार्म पृष्ठ पर नीचे की ओर एक बटन Browse दिखाई देगा। इसमें आवेदक को अपना फोटो-हस्ताक्षर सहित अटैच करना है। इस बटन के नीचे आवेदक को फोटो-हस्ताक्षर के (प्रारूप हेतु इस लिंक पर क्लिक करें link) दिखाई देगी। hyperlink. को क्लिक करने पर फोटो हस्ताक्षर के फार्मेट का प्रिंट लेकर उचित स्थान पर फोटो चिपकाकर उसके नीचे हस्ताक्षर करें। इसके उपरांत उक्त फार्मेट को स्कैन कर jpg या gif फार्मेट में ही सेव करें। अब आवेदक Browse बटन क्लिक करें इसके उपरांत जिस डायरेक्ट्री में आवेदक ने अपना फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर सेव किया है। उस डायरेक्ट्री से अपना फोटो हस्ताक्षर सिलेक्ट कर अटैच करें।

आवेदक फार्म को पूर्ण रूप से भरने के बाद उसे अच्छी तरह पढ़ लें और यह सुनिश्चित कर ले कि फार्म में जो भी जानकारी भरी गई हैं वह सही हैं। यदि फार्म में कोई गलत जानकारी भर दी गई है तो पुनः उसे ठीक कर लें। इसके उपरांत ही Submit बटन दबाएं। इससे आवेदक को एक आवेदन फार्म नंबर प्राप्त होगा। इसके उपरांत आवेदक परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क के भुगतान के लिए Proceed जव Payment बटन दबाएगा तो उसे परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क भुगतान हेतु दो आप्शन दिखाई देंगे :-

1. क्रेडिट कार्ड। 2. इंटरनेट बैंकिंग।

3. **क्रेडिट कार्ड के माध्यम से परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान :-** आवेदक किसी भी इंटरनेट कैफे या घर बैठे भी स्वयं इंटननेट के माध्यम से कम्प्यूटर द्वारा अपना फार्म भर सकता है। फार्म भरने के उपरांत परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान किसी भी बैंक के क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदक द्वारा फार्म भरने के उपरांत परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करने के लिए Proceed जव Payment बटन दबाने पर कम्प्यूटर स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (एसबीआई) का पेमेंट गेटवे दिखाई देगा। इसमें क्रेडिट कार्ड का विवरण भरने के उपरांत कन्फर्म बटन दबाकर परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान किया जा सकता है। आवेदक को परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क भुगतान प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण होने के बाद कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त होगी। जिस पर उसकी ट्रांजेक्शन संबंधी जानकारी भी अंकित होगी। आवेदक इस रसीद को संभालकर रखें।
4. **इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान :-** आवेदक चाहे तो स्वयं घर बैठे इंटरनेट या इंटरनेट कैफे के माध्यम से फार्म भरकर परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान इंटरनेट बैंकिंग सुविधा से कर सकता है। इसके लिए आवेदक के पास स्टेट बैंक आफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर अथवा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नेटबैंकिंग सुविधा होना अनिवार्य है। आवेदक फार्म भरने के उपरांत Proceed जव Payment बटन दबाएगा यहाँ पर उसे इंटरनेट बैंकिंग आप्शन दिखाई देगा। इसे क्लिक करने पर वह अपने बैंक द्वारा प्रदान यूजर आई डी पासवर्ड डालकर लागिन होगा। इस प्रक्रिया से आवेदक अपने बैंक एकाउंट से शुल्क का भुगतान कर सकता है। सफलतापूर्वक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद आवेदक को स्क्रीन पर पावती नंबर और आवेदक का विवरण दिखाई देगा। इसका प्रिंट अवश्य लें।
5. **एमपीऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से आवेदन फार्म भरने की विधि :-** आवेदक आवेदन फार्म भरने के लिए अपने नजदीकी एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जावेगा। कियोस्क संचालक https://www.mponline.gov.in, वेबसाइट ओपन कर अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लागिन टाइप में कियोस्क सिलेक्ट कर लागिन करेगा। इसके उपरांत सर्विसेज में जाकर एप्लीकेशन में सर्वप्रथम फार्म भरने संबंधी निर्देश और जानकारियाँ आवेदक को उपलब्ध कराएगा। आवेदक इन्हें सावधानीपूर्वक पढ़ ले ताकि मांगी गई समस्त जानकारियाँ फार्म में सही भरी जा सकें। इसके उपरांत आवेदक कियोस्क संचालक को अपनी समस्त जानकारी उपलब्ध कराकर फार्म भरवा लें एवं साथ में अपना पासपोर्ट साइज का फोटो अवश्य ले जावें। कियोस्क आवेदक का फोटो हस्ताक्षर स्कैन कर उचित स्थान पर अटैच करेगा। फार्म भरने के उपरांत आवेदक फार्म में भरी गई समस्त जानकारियाँ अच्छी तरह पढ़ लें। आवेदक सभी जानकारियाँ सही-सही भरी होने के उपरांत ही कियोस्क संचालक को Proceed जव Payment बटन दबाकर परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान करने को कहें। आवेदक कियोस्क संचालक को पोर्टल शुल्क नकद भुगतान करेगा। कियोस्क संचालक भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद आवेदक को प्रदान करेगा। इस रसीद में पोर्टल शुल्क की पूरी जानकारी अंकित रहेगी। साथ ही आवेदक से संबंधित पूर्ण जानकारी भी रसीद में अंकित होगी।
6. **आवेदक इसे ध्यानपूर्वक पढ़ लें और तथा अपने पास संभालकर रखें।**
7. **जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।**
8. **यदि आवेदक के पास क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो भरे गये फार्म का कियोस्क के माध्यम से Pay for unpaid Application लिंक द्वारा परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का नगद भुगतान कर सकता है। पोर्टल शुल्क का भुगतान प्रत्येक आवेदक को करना अनिवार्य है।**
9. इसके लिए आवेदक को उपरोक्त बताये गये बिन्दु में दर्शाई गई विधि अनुसार फार्म भरने के उपरांत अपने नजदीक में स्थापित एमपीऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क पर जाकर भरे गये फार्म का आवेदन क्रमांक एवं अपनी जन्मतिथि कियोस्क संचालक को बताना होगा। इसके उपरांत कियोस्क संचालक Pay for unpaid Application में उक्त जानकारियाँ भरकर फार्म ओपन कर लेगा। इसके उपरांत Proceed जव Payment बटन दबाकर परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क का भुगतान कर देगा। शुल्क भुगतान प्रक्रिया पूर्ण होने पर कियोस्क संचालक आवेदक को दो पृष्ठीय कम्प्यूटराइज्ड रसीद प्रदान करेगा। इस रसीद में परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क की जानकारी के साथ आवेदक से संबंधित समस्त जानकारी अंकित होगी।
10. आवेदकों से निवेदन है कि ऑनलाइन आवेदन की पावती पृष्ठ की प्रति भविष्य के लिए संभाल कर रखें।
11. ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर एमपीऑनलाइन के पास डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा एवं पोर्टल शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर इन्हें मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जावेगा और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जावेगी।
12. **प्रारंभिक परीक्षा के उपरांत उत्तीर्णांक (Passing Marks) पाने वाले अभ्यर्थीयों को अपने आवेदन पत्र, (जिसका प्रारूप प्रारंभिक परीक्षा परिणाम के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा) व उनके साथ स्वप्रमाणित संबंधित दस्तावेजों की प्रतिलिपियाँ एवं दो फोटोग्राफ्स, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड-482001 के कार्यालय में निर्धारित अवधि में भेजना आवश्यक हैं। इन्ही दस्तावेजों के आधार पर अभ्यर्थी की अर्हता मुख्य परीक्षा हेतु निश्चित की जावेगी।**

नोट- **यदि आपको ऑनलाइन फार्म में भरने में कोई समस्या आती है तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर तत्काल संपर्क करें।**

एमपीऑनलाइन लिमिटेड
निरूपम शापिंग मॉल, द्वितीय तल, अहमदपुर, होशंगाबाद रोड, भोपाल-402026
फोन (0755) 4019400-06, 4019430

खण्ड "ब"

विज्ञापित पदों का विवरण

(I) पदनाम, वेतनमान तथा अर्हतायें :-

पदनाम एवं वेतनमान	रिक्त पद	न्यूनतम शैक्षणिक एवं तकनीकी अर्हता	अतिरिक्त योग्यता
(1) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 (उच्च न्यायालय)	70	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण। 2. मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	डाटा एन्ट्री ऑपरेशन का ज्ञान
(2) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	106	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान
(3) सहायक ग्रेड-3 प्रवर्ग 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 (जिला न्यायालय)	290	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	1. अंग्रेजी टायपिंग/स्टेनोग्राफी का ज्ञान। 2. कम्प्यूटर हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर का ज्ञान
(4) सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) 5200-20200+ ग्रेड पे 1900 एवं विशेष वेतन 125/- (जिला न्यायालय)	16	1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र अथवा 10+2 पद्धति से हायर सेकेण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण। 2. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से हिन्दी एवं अंग्रेजी टायपिंग परीक्षा उत्तीर्ण। 3. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्था से अंग्रेजी शीघ्रलेखन परीक्षा 80 शब्द प्रति मिनिट की गति से उत्तीर्ण। 4. म.प्र. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण।	हिन्दी स्टेनोग्राफी का ज्ञान
कुल पद	**482**		

जिला न्यायालयों से संबंधित पदों हेतु टीप :-

(1) उपरोक्तानुसार दर्शित न्यूनतम अर्हतायें (कम्प्यूटर अर्हता सहित) प्रारंभिक परीक्षा दिनांक तक उत्तीर्ण होना आवश्यक है। अतिरिक्त योग्यता हेतु संबंधित विषय/ज्ञान की परीक्षा उत्तीर्णी होना आवश्यक नहीं है।

(2) म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्र. सी-3-11/08/3/एक दिनांक 12.06.2009 के प्रकाश में केवल निम्नलिखित संस्थाओं से कम्प्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा कोर्स उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मान्य किये जायेंगे :-

1. Diploma from all Universities recognized by UGC.
2. Diploma from all Open Universities recognized by UGC.
3. Diploma level examination from DOEACC.
4. Modern Office Management Course from Govt. Polytechnic College.

विश्वविद्यालय/डोएक से परीक्षा उत्तीर्ण होना तभी माना जावेगा जबकि संबंधित विश्वविद्यालय/डोएक से प्रमाण पत्र/अंकसूची जारी की गई हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे अभ्यर्थी जो केवल बी.ए., बी.कॉम. या बी.एससी. में एक विषय के रूप में कम्प्यूटर साइंस लेकर उत्तीर्ण हुऐ हैं उन्हें कम्प्यूटर योग्यता हेतु अर्हताकारी नहीं माना जायेगा। (जैसा कि माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन नं. 1925/2010, आई.एल.आर. (2011) म.प्र. 1847 (डी.बी.) में अभिनिर्धारित किया गया है)

(i) प्रत्येक प्रवर्ग के नियमित पदों की अनुमानित संख्या :-

क्र.	पद का नाम	अनारक्षित			अन्य पिछड़ा वर्ग			अनु. जाति			अनु. जनजाति			योग
		सा.	म.	विक.	सा.	म.	विक.	सा.	म.	विक.	सा.	म.	विक.	
1.	सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय)	20	-	1	11	-	1	14	-	1	21	-	1	70
2.	सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	34	15	3+1	10	6	1	13	6	1	10	5	1	106
3.	सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय)	89	27	9	23	1	-	46	5	1	65	16	8	290
4.	सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) जिला न्यायालय	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16
	योग													**482**

नोट - जिला न्यायालयों से संबंधित पदों की जिलेवार रिक्तियों का विस्तृत विवरण मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की

वेबसाइट https://www.mphighcourt.nic.in पर देखा जा सकता है।

नोट :-

(1) मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों हेतु 10 प्रतिशत पद समस्तरीय एवं प्रभागवार (होरीजोन्टल एण्ड कम्पार्टमेन्टवाईज) आरक्षित है।

(2) अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के किसी भी केन्द्र को परीक्षा हेतु चुन सकता है। मुख्य परीक्षा हेतु केन्द्र का निर्धारण प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) द्वारा किया जावेगा।

(3) अभ्यर्थी सभी पद प्रवर्ग या उनमें से किन्ही के लिये एक ही आवेदन पत्र के द्वारा ऑन-लाइन आवेदन कर सकता है। लेकिन एक से अधिक पद प्रवर्ग हेतु आवेदन करने वाले अभ्यर्थी का चयन उसके पसंद के पद प्रवर्ग पर नहीं किया जावेगा बल्कि एक से अधिक पद हेतु सफल अभ्यर्थी को पद प्रवर्ग - 1. सहायक ग्रेड-3 (इंग्लिश नोइंग) (जिला न्यायालय), 2. सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय), 3. सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं 4. सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) के घटते क्रम में अधिमान्यता देते हुए केवल एक पद हेतु चयनित किया जावेगा।

(4) प्रारम्भिक परीक्षा में उत्तीर्णांक (passing marks) पाने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। प्रत्येक पद के लिये पृथक आवेदन एवं स्वप्रमाणित दस्तावेज/फोटोग्राफ भेजना आवश्यक है। लेकिन सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) के पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र भेजा जा सकता है।

(5) मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन, प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम दिनांक से सहायक ग्रेड-3 इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) के पद हेतु 10 दिन में एवं अन्य पदों हेतु 15 दिन में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (परीक्षा), प्रशासनिक भवन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर (म.प्र.) पिन कोड-482001 में पहुंचना आवश्यक है। नियत अवधि में आवेदन व दस्तावेज प्राप्त न होने पर अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी नहीं किया जावेगा। प्रारंभिक परीक्षा के पूर्व प्राप्त होने वाले आवेदनों पर भी विचार नहीं किया जायेगा।

(6) जिला न्यायालयों के पदों से संबधित अभ्यर्थी, नियुक्ति हेतु, अपनी पसंद के अनुसार दो जिलों को आवेदन में दर्शित कर सकते हैं। पसंद के जिले में पद भर जाने पर माननीय उच्च न्यायालय को उस अभ्यर्थी को अन्य किसी भी जिले में चयनित एवं नियुक्त किये जाने का अधिकार होगा। उच्च न्यायालय एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण से संबंधित पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश में कार्यरत् किसी भी न्यायालय/कार्यालय में एवं किसी भी स्थान पर पदस्थ किया जा सकेगा।

(7) जिला न्यायालयों के पदों से संबधित अभ्यर्थी, की नियुक्ति होने पर तीन वर्ष तक स्थानांतरण आवेदन पर विचार नहीं किया जावेगा।

खण्ड "स"

(1) आयु की गणना :- दिनांक 01.01.2012 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो परंतु 35 वर्ष की आयु पूरी नहीं की हो, उक्त तिथि पर ही अधिकतम आयु सीमा की गणना निम्नानुसार होगी :-

1.	पुरुष आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 वर्ष
2.	पुरुष आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.)	=	40 वर्ष
3.	महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 = 45 वर्ष
4.	महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.)	=	35 + 5 + 10 = 50 वर्ष
5.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (सामान्य वर्ग)	=	35 + 10 + 5 = 50 वर्ष
6.	विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा महिला आवेदक (आरक्षित वर्ग) (अनु.जाति/अनु.जनजाति/अ.पि.वर्ग.)	=	35 + 5 + 10 + 5 = 55 वर्ष

नोट :- शासकीय सेवारत कर्मचारियों विकलांगों एवं भूतपूर्व सैनिकों को भी मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार आयु-सीमा में छूट दी जायेगी।

(2) परीक्षा शुल्क :- परीक्षा शुल्क ऑनलाइन देय होगा।

1. मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति की श्रेणी मे आते हैं तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिये परीक्षा शुल्क प्रति पद प्रवर्ग 50/- रुपये की दर से न्यूनतम 100/- रुपये देय होंगे।
2. शेष सभी आवेदकों तथा मध्यप्रदेश के बाहर के सभी आवेदकों के लिये परीक्षा शुल्क प्रति पद प्रवर्ग 100/- रुपये की दर से न्यूनतम रुपये 200/- देय होंगे।

(3) परीक्षा की योजना :-

(अ) प्रारंभिक परीक्षा (उपरोक्त सभी प्रवर्गों के पदों हेतु) - (100 अंक) - प्रारंभिक परीक्षा एक ही दिनांक को व एक ही समय में निम्नलिखित जिला मुख्यालयों पर आयोजित होगी।

परीक्षा केन्द्र- 1. जबलपुर 2. इंदौर, 3. भोपाल 4. ग्वालियर 5. रीवा 6. सागर 7. उज्जैन 8. सिवनी 9. छतरपुर 10. बालाघाट एवं 11. होशंगाबाद।

प्रवेश पत्र - प्रवेश पत्र एमपीऑनलाइन द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी किया जावेगा, जिसका प्रिंटआउट स्वयं अभ्यर्थी को प्राप्त करना होगा। प्रवेश पत्र का प्रिंटआउट एम.पी. ऑनलाइन की वेबसाइट के माध्यम से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर प्राप्त किया जा सकेगा। प्रिंटआउट की सुविधा परीक्षा दिनांक से 15 दिवस पूर्व से उपलब्ध होगी, जिसका पृथक से कोई शुल्क देय नहीं होगा।

(4) यात्रा व्यय का भुगतान :- लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के लिये, मध्यप्रदेश के ऐसे मूल निवासी आवेदक जो अजा/अजजा/अपिव श्रेणी में आते हों और कहीं सेवारत न हों, को उनके निवास स्थान से निकटतम परीक्षा केन्द्र के शहर तक का ही यात्रा व्यय देय होगा। परीक्षा में सम्मिलित होने पर म.प्र. शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का नगद भुगतान वांछित घोषणा पत्र और आवश्यक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यात्रा वापसी के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर किया जाएगा।

प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम :-

Preliminary Examination for the Posts of	Syllabus	No.of Questions	Marks
सहायक ग्रेड-3 के सभी पद प्रवर्ग हेतु	(1) सामान्य ज्ञान (G.K.)	40	40
	(2) सामान्य हिन्दी (General Hindi)	10	10
	(3) अँग्रेजी ज्ञान (English Knowledge)	20	20
	(4) कम्प्यूटर ज्ञान (Computer knowledge)	30	30

प्रक्रिया :-

(1) प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यार्थियों को प्रश्न पत्र के उत्तरों को चिन्हित करने हेतु पृथक से एक उत्तर पुस्तिका प्रदान की जावेगी जो कि OMR शीट के रूप में होगी, जिसमें अभ्यर्थी प्रश्न के वैकल्पिक उत्तरों में सही उत्तर का चुनाव कर ओ.एम.आर. शीट में **काली स्याही के बाल पेन से गोला बनाकर** अपना उत्तर अंकित करेंगे।

(2) प्रारंभिक परीक्षा में सहायक ग्रेड-3 के सभी पद प्रवर्ग हेतु अभ्यर्थी को उत्तीर्णांक (Passing Marks), जो सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु **न्यूनतम 55 प्रतिशत**, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को **न्यूनतम 45 प्रतिशत** एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को **न्यूनतम 35 प्रतिशत** अंक निर्धारित किये गये हैं, प्राप्त करना आवश्यक हैं। उत्तीर्णांक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन करने के पात्र होंगे।

(ब) मुख्य परीक्षा - मुख्य परीक्षा हेतु प्राप्त आवेदनों/दस्तावेजों का प्राथमिक परीक्षण कर पात्र अभ्यर्थियों की सूची तैयार की जावेगी एवं विज्ञापित पदों के लगभग **चार गुना** अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र एमपीऑनलाइन के माध्यम से जारी किये जावेंगे। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :-

S.No.	Post	Subject	Marks	Time
1.	सहायक ग्रेड-3	Hindi Typing	20	10 Minutes
	(उच्च न्यायालय)	English Typing	20	10 Minutes
	संभावित दिनांक	General English	20	20 Minutes
	01.04.2012	Computer Typing/knowledge	28	20 Minutes
2.	सहायक ग्रेड-3 (जिला	Hindi Typing (Matter)	30	15 Minutes
	न्यायालय) एवं सहायक ग्रेड-3	Hindi Typing (Dictation)	10	05 Minutes
	(राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण)	Computer Typing (H+E)/	38	20 Minutes
		Computer knowledge		
	संभावित दिनांक	Stenography	10	15 Minutes
	21.04.2012			
	22.04.2012			
3.	सहायक ग्रेड-3 इंग्लिश नोइंग	English Stenography &	68	5+30+15
	(जिला न्यायालय)	Typing + Computer Typing		Minutes
	संभावित दिनांक	Hindi Typing + Computer knowledge	20	15 Minutes
	25-03-2012			

नोट :-

(1) सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर रहेगा। सहायक ग्रेड-3, इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) के पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा का केन्द्र जबलपुर होगा। सहायक ग्रेड-3 (राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण) एवं सहायक ग्रेड-3 (जिला न्यायालयों) की मुख्य परीक्षा एक ही होगी एवं इस परीक्षा के केन्द्र जबलपुर, भोपाल, ग्वालियर और इंदौर एवं कुछ अन्य जिले के मुख्यालय होंगे। सभी पदों के संबंध में मुख्य परीक्षा केन्द्र के निर्धारण का अधिकार प्रिंसीपल रजिस्ट्रार (परीक्षा) को होगा एवं प्रारम्भिक परीक्षा केन्द्र पर ही मुख्य परीक्षा का अभ्यर्थी का अधिकार नहीं माना जावेगा। मुख्य परीक्षा की दिनांक एवं परीक्षा केन्द्र म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

(2) प्रवेश पत्र - चयनित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र पृथक से वेबसाइट के माध्यम से जारी किये जावेंगे जिसे वे एम.पी. ऑनलाइन अथवा म.प्र. उच्च न्यायालय की वेबसाइट से अपना आवेदन क्रमांक एवं जन्मतिथि डालकर डाउनलोड कर सकेंगे एवं इसका उत्तारदायित्व अभ्यर्थी का होगा।

(3) सहायक ग्रेड-3, इंग्लिश नोइंग (जिला न्यायालय) की मुख्य परीक्षा में अर्हताधारी अभ्यर्थियों को 5 मिनिट में लगभग 300 शब्दों का डिक्टेशन अंग्रेजी में दिया जायेगा जिसके टाईपराईटर पर टायपिंग हेतु 30 मिनिट का समय पृथक से दिया जायेगा। इसी डिक्टेशन को कम्प्यूटर पर टाईप कराया जावेगा जिसके लिए 15 मिनिट का समय पृथक से दिया जावेगा अर्थात् उक्त परीक्षण 50 मिनिट का रहेगा।

(4) मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 60 प्रतिशत, अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 50 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम् 40 प्रतिशत अर्हकारी अंक प्राप्त करना आवश्यक है। वांछित अभ्यर्थियों के नहीं मिलने पर उक्त न्यूनतम् अर्हकारी अंकों की शर्त को माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा शिथिल किया जा सकेगा अथवा योग्य अभ्यर्थी न मिलने पर पदों को रिक्त रखा जाकर पुनः विज्ञापित किया जावेगा।

(6) प्रारंभिक परीक्षा के प्राप्तांकों की गणना मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में अंतिम योग्यताक्रम निर्धारित करने में नहीं की जायेगी।

(7) परीक्षा समाप्ति के 6 माह पश्चात्, जो अभ्यर्थी परीक्षा में सफल नहीं हुए हैं से संबंधित सभी सामग्री (ओ.एम.आर. उत्तर पुस्तिकाएं, आदि) नष्ट कर दी जायेंगी।

(स) साक्षात्कार :- (12 अंक)।

(1) साक्षात्कार मुख्य परीक्षा दिनांक को ही मुख्य परीक्षा के उपरांत लिया जावेगा। लेकिन सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के पदों हेतु साक्षात्कार मुख्य परीक्षा के बाद की किसी दिनाँक को भी लिया जा सकेगा। सहायक ग्रेड-3 (उच्च न्यायालय) के ऐसे अभ्यर्थी जो मुख्य परीक्षा में न्यूनतम अंकों से कम अंक प्राप्त करते हैं, को साक्षात्कार से वर्जित किया जा सकेगा।

(2) साक्षात्कार के समय चयन समिति के समक्ष समस्त अर्हकारी मूल प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा।

(3) साक्षात्कार के समय आरक्षित वर्ग के समस्त अभ्यर्थियों को सक्षम अधिकारी (जो अनुविभागीय अधिकारी से निचले स्तर का न हो) द्वारा प्रदत्त स्थायी जाति प्रमाण पत्र मूलतः एवं सत्यापित पठनीय छायाप्रति प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(3) चयन एवं अभ्यर्थिता के संबंध में अन्य आवश्यक जानकारी :-

(1) जिला न्यायालयों एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के पदों हेतु सभी अभ्यर्थियों को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(2) अभ्यर्थी को उतने ही पद प्रवर्ग की मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन प्रस्तुत करने/भेजने की पात्रता होगी जितने के लिए उसने परीक्षा शुल्क अदा किया है। यदि कोई अभ्यर्थी अधिक पदों के लिए मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन भेजता/प्रस्तुत करता है तो उसे सभी परीक्षाओं से वर्चित किया जा सकेगा।

(3) आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है।

(4) वही अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये पात्र होंगे जो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 द्वारा निर्धारित समस्त मापदण्डों की पूर्ति करते हों एवं नियम 6 के अनुसार नियुक्ति के लिये अपात्र न हों।

(5) शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों/संस्था में कार्यरत् कर्मचारियों को मुख्य परीक्षा दिनांक तक नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न/प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

(6) सभी परीक्षाओं में अभ्यर्थी का प्रवेश पूर्णतः प्राविधिक है। अभ्यर्थी को सभी परीक्षाओं में फोटो परिचय-पत्र भी लाना आवष्यक है। अंतिम शैक्षणिक संस्था प्रमुख द्वारा जारी फोटो परिचय-पत्र भी मान्य किया जा सकेगा।

(7) मुख्य परीक्षा में शीघ्रलेखन/टायपिंग कौशल परीक्षण हेतु टायपिंग मशीन लाने का उत्तरदायित्व अभ्यर्थियों का होगा, जिला न्यायालय/उच्च न्यायालय द्वारा टायपिंग मशीन उपलब्ध नहीं करायी जावेगी। अंग्रेजी टायपिंग की योग्यता का परीक्षण कम्प्यूटर पर ही किया जावेगा।

(8) पदों की संख्या में कमी/वृद्धि हो सकती है।

(9) चयन प्रक्रिया को संशोधित या निरस्त करने का पूर्ण अधिकार माननीय मुख्य न्यायाधिपति, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को है।

(10) यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तें पूरी न करते हुये भी आवेदन प्रेषित करता है या उसका आवेदन पत्र त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो किसी भी स्तर पर उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जायेगी, जिस पर कोई पत्राचार मान्य नहीं होगा।

(11) आरक्षित प्रवर्ग (अ.जा., अनु.ज.जाति एवं अ.पि.व.) के अभ्यर्थी मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 07-26/96/अ-प्र/दिनांक 01.08.1996 एवं क्रमांक एफ 7-2/96/अ-प्र/1 दिनाँक 12.03.1997 में दिये गये निर्देशों के अध्यधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र ही प्रस्तुत करें अन्यथा उनकी अभ्यर्थिता अनारक्षित प्रवर्ग के तहत विचार में ली जावेगी।

(12) पुनर्मूल्यांकन का कोई प्रावधान नहीं है अतः इस विषय में प्राप्त आवेदनों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(13) यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई दाण्डिक प्रकरण किसी पुलिस थाने/न्यायालय में विचाराधीन हो अथवा किसी न्यायालय से निराकृत हो चुका हो तो निर्णय/संबंधित अधिनियम एवं धारा सहित प्रकरण क्रमांक आदि की जानकारी अनिवार्यतः दें।

(सुभाष काकड़े)
रजिस्ट्रार जनरल